न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 03/2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये हरलाल मीणा, प्रवर्त्तन अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. इमरान पुत्र बाबू खां जाति पठान निवासी वेरल मार्केट रोड़ आरएम पान पार्लर अहमदाबाद (गुजरात)
2. उमर फारूख पुत्र हुसैन छीपा मालिक पिकअप बोलेरो निवासी वेरल मार्केट रोड़ आरएम पान पार्लर, अहमदाबाद
3. असरफ खां पुत्र असलम खां जाति पठान निवासी वरेल मार्केट रोड़ आरएम पार्लर, अहमदाबाद (गुजरात)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री पवन गिरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.02.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 04.01.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर द्वारा तहरीर श्रीमान जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को प्रेषित की कि दिनांक 03.01.2021 की रात्रि में दौराने गश्त श्री पूनमचन्द हैडकानि नंबर 210 पुलिस थाना सदर, बाड़मेर द्वारा कुर्जा फांटा बाड़मेर के पास एक पिकअप नंबर जीटी 27 टीटी 4530 चैक करने पर 11 ड्रमों में बायोडीजल भरा हुआ पाया गया। इस पर पिकअप में बायोडीजल से भरे ड्रमों को सुरक्षा की दृष्टि से थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। उक्त सूचना पर दिनांक 04.01.2021 को जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में श्री संजीव शर्मा प्रवर्त्तन अधिकारी, श्री खेमाराम प्रवर्त्तन अधिकारी एवं श्री सहीराम प्रवर्त्तन निरीक्षक के साथ पुलिस थाना सदर जांच हेतु मौके पर पहुंचे। पुलिस थाना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सदर बाड़मेर के परिसर में खड़ी उक्त जब्तशुदा पिकअप में 11 लौहे के ड्रमों में कुल 2420 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारित होना पाया गया। उक्त उत्पाद को देखने, सूंघने एवं सामान्य ज्ञान के आधार पर प्रथमदृष्ट्या बायोडीजल पेट्रोलियम उत्पाद प्रतीत होना पाया गया। जब्तशुदा पिकअप के ड्राईवर ने ड्रमों में भरे पेट्रोलियम उत्पाद को ग्राम बिशाला तहसील बाड़मेर से लाना बताया। ड्राईवर द्वारा प्रस्तुत बिल की जांच करने पर फर्म के. कृष्णा इन्टरप्राइजेज का होना पाया गया तथा इण्डस्ट्रीयल फ्यूल ऑयल जो 2710 लीटर है, मैसर्स मांगलिया ट्रैडर्स श्री अहसान खां पुत्र श्री नवाब खां पंचायत समिति के सामने, बाड़मेर के नाम का जारी किया हुआ था। ड्राईवर इमरान खां द्वारा उक्त जब्तशुदा पिकअप में भरे ड्रमों के पेट्रोलियम उत्पाद के संबंध में एवं उसके परिवहन तथा बिक्री के संबंध में कोई वैध दस्तावेज वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत नहीं करने के साथ ही प्रस्तुत बिल में इण्डस्ट्रीयल फ्यूल ऑयल से पिकअप में जब्तशुदा उत्पाद से मेल नहीं खाने से उक्त कथित बायोडीजल, मिलावटी डीजल अथवा अवैध रूप से प्राप्त डीजल को डीजल के रूप में अवैध रूप से व्यापार करने का प्रकरण प्रकट होता है जो मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के तहत खण्ड 2 में (डी)(एफ)(1)(v)(vi)(vii) एवं (ix) का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन पिकअप नंबर जीटी 27 टीटी 4530 मय 2416 लीटर एवं 11 ड्रमों का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के जरिये बिल्टी उक्त पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन किया हैं तथा इसके उपयोग एवं स्वामित्व के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं रही हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा किसी प्रकार का अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण एवं विक्रय नहीं किया गया हैं लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रकरण ड्रॉप फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम इमरान पुत्र बाबू खां जाति पठान निवासी वेरल मार्केट रोड़ आरएम पान पार्लर अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा बेचान करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के तहत खण्ड 2 में (डी)(एफ)(1)(v)(vi)(vii) एवं (ix) का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थीगण को सुनवाई के प्रत्येक अवसर पर समुचित समय दिये जाने का बावजूद उनके द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा वक्त बहस प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के जरिये बिल/बिल्टी के. काशा एन्टरप्राईजेज उक्त पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन किया हैं तथा इसके उपयोग एवं स्वामित्व के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं रही हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा किसी प्रकार का अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण एवं विक्रय नहीं किया गया हैं लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रकरण ड्रॉप फरमाया जावें। अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी के समक्ष वक्त जांच उक्त बिल सं. 24AOXPG0987R1ZW दिनांक 03.01.2021 प्रस्तुत किया गया है जो परिवाद के संलग्न है। इस प्रकार दिगर अप्रार्थीगण द्वारा उनके कब्जे से जब्तशुदा आवश्यक वस्तु के क्रय बिल–बिल्टी के साथ ही संग्रहण एवं बेचान के प्रतिरक्षण स्वरूप उनके द्वारा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 2416 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम उत्पाद राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये सीजशुदा 2416 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम उत्पाद राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर उक्त राजसात किये गये सीजशुदा 2416 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम उत्पाद का सार्वजनिक नीलामी द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। प्रकरण में वाहन वाहन पिकअप नंबर जीटी 27 टीटी 4530 मय 2416 लीटर एवं 11 ड्रमों के स्वामी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत सुपर्दगीनामा निरस्त किया जाता हैं तथा वाहन को जब्ती से मुक्त किया जाता हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक पालना कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Low

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर